Hindi

तथ्य पत्र 2

नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस स्कीम (राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना) क्या है?

यह तथ्य पत्र AMPARO Advocacy द्वारा तैयार किया गया है ताकि सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध समुदायों से सम्बन्धित लोगों को नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस स्कीम के बारे में अनुवादित जानकारी प्रदान की जा सके।

नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस स्कीम को NDIS कहा जाता है और यह विकलांगता से ग्रस्त लोगों को उनके लिए आवश्यक देखरेख और सहायता प्रदान करने का नया तरीका है। यह एक स्वतंत्र एवं राष्ट्रीय प्रणाली है इसलिए यह ऑस्ट्रेलिया में सभी लोगों के लिए समान होगी। यह 2019 में पूरे देश भर में उपलब्ध होगी और क्वींसलैंड में इसकी शुरूआत 2016 से होगी। विकलांगता से ग्रस्त जिन लोगों को NDIS से सहायता मिलती है उन्हें "सहभागी" कहा जाता है।

पात्रता

NDIS विकलांगता से ग्रस्त उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और -

- प्रथम बार NDIS की सेवा प्राप्त करते समय जिनकी आयु 65 से कम होती है
- जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक **या** परमानेंट रेज़ीडेंट होते हैं, **या** न्यूज़ीलैंड के वो नागरिक होते हैं जो प्रोटेक्टिड स्पेशल कैटीगरी वीज़ा धारक हों
- जो किसी ऐसी विकलांगता से ग्रस्त होते हैं जो दूर नहीं होगी, जो 'जीवन भर' के लिए होती है और रोज़मर्रा की गतिविधियों में भाग लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।

वे लोग जो पात्र नहीं होते हैं, NDIS उनका संपर्क अन्य उचित सहायता सेवाओं के साथ करने में सक्षम हो सकती है।

विकल्प एवं नियंत्रण

अतीत में, ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता से ग्रस्त कई लोग सामुदायिक जीवन से अक्सर अलग महसूस करते थे, और उनके पास इस बात के बहुत कम विकल्प थे कि उन्हें उनकी सहायता कैसे प्रदान की जाती थी। NDIS में, सहभागी यह फैसला कर सकते हैं कि उन्हें कैसी सहायता चाहिए और यह सहायता उन्हें कैसे मिलनी चाहिए।

उचित एवं आवश्यक सहायता

NDIS उस सहायता के लिए भुगतान करेगा जो विकलांगता से सम्बन्धित हो तथा आवश्यक हो, और यह किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य एवं महत्वकांक्षाओं को पाने, तथा लोगों को और अधिक स्वतंत्र बनने में मदद करेगी।

NDIS लोगों को उनके समुदाय में सामाजिक और आर्थिक जीवन का भाग बनने के लिए ज़रूरी सहायता प्रदान करती है। इसमें निम्नलिखित प्रकार की सहायता शामिल हो सकती है-

- अन्य लोगों के साथ रिश्ते बनाना और उनसे जुड़े रहना महसूस करना – परिवार एवं मित्रों के साथ जुड़े रहना

- सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहना – मनोरंजनात्मक गतिविधियों सहित
- स्कूल जाना, पढ़ना-लिखना और प्रशिक्षण लेना – जैसे कि TAFE या युनिवर्सिटी में पढ़ाई करना
- रोज़मर्रा के सामान्य काम जैसे कि फैसले लेने, बिलों का भुगतान करना और समस्याओं का समाधान करना
- संचार – जैसे कि दूसरों से बातचीत करना और उन्हें समझना
- गतिशीलता – जैसे कि अपने घर और समुदाय में एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना, या ऐसा करने के लिए उपकरण या साधन लेना
- आत्म-देखरेख और विशेष स्वास्थ्य देखरेख सम्बन्धी ज़रूरतें – जैसे कि स्नान करने, वस्त्र पहनने और भोजन खाने में सहायता
- घर पर गतिविधियाँ – जैसे कि भोजन बनाने और घर की साफ-सफाई
- रोज़गार – जैसे कि नौकरी ढूँढना और उसे बनाए रखना

NDIS किन कार्यों के लिए धन-राशि प्रदान नहीं करती है

NDIS निम्नलिखित किसी भी काम के लिए धन-राशि प्रदान नहीं करेगी-

- ऐसा काम जो व्यक्ति की विकलांगता से सम्बन्धित न हो
- ऐसा काम जो रोज़मर्रा के रहन-सहन के खर्चे से सम्बन्धित हो पर जो व्यक्ति की सहायता ज़रूरतों से सम्बन्धित न हो
- ऐसा काम जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास जैसी किसी अन्य संस्था से धन-राशि प्राप्त होती हो
- ऐसा काम जिससे सहभागी या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचने की संभावना हो।

विकलांगता से ग्रस्त बच्चे

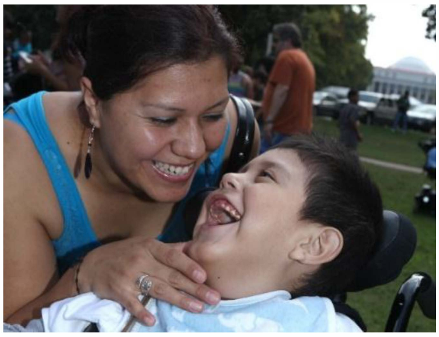

NDIS विकलांगता से ग्रस्त किसी बच्चे/बच्ची के लिए प्रारम्भिक सहायता प्राप्त करने में भी आपकी मदद कर सकती है। प्रारम्भिक सहायता आप पर या आपकी संतान पर विकलांगता के दीर्घावधि के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है। NDIS इसे “प्रारम्भिक मध्यवर्तन” कहती है।

विकलांगता से ग्रस्त लोग और उनके परिवार

विकलांगता से ग्रस्त लोगों के विकल्पों और फैसलों सहित उनकी ज़रूरतें NDIS द्वारा उनकी सहायता के लिए योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, परन्तु परिवारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।

विकलांगता से ग्रस्त लोग परिवारों और अन्य समर्थकों को आमंत्रित कर सकते हैं ताकि उन्हें NDIS नियोजन प्रक्रिया में मदद मिल सके। आयोजक परिवार की सहायता करने के तरीकों के बारे में सोचेंगे ताकि लगातार सहायता दी जा सके और वे सहभागियों के साथ योजनाएँ बनाते समय परिवार की भूमिका को ध्यान में रखेंगे, इसमें उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता, अन्य जिम्मेदारियाँ और उनके खुद के जीवन की योजनाएँ शामिल हैं। NDIS आयोजक इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं कि विकलांगता से ग्रस्त लोग सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए परिवार की मदद लेना चाह सकते हैं और वे उनके विचारों, उनकी जानकारी और अनुभव का सम्मान करते हैं।

यदि आपको किसी दुभाषिए की ज़रूरत हो

यदि सवाल पूछने या और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए आपको किसी दुभाषिए की ज़रूरत हो, तो TIS को 131 450 पर फोन करें और उनसे नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस स्कीम से 1800 800 110 पर कनेक्ट किए जाने के लिए निवेदन करें।

Interpreter

यह कैसे पता लगाएँ कि क्या आप पात्र हैं या नहीं

यह पता लगाने के लिए क्या आप NDIS से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं या नहीं, आप NDIS ऐक्सेस जाँच-सूची का प्रयोग कर सकते/सकती हैं। http://www.ndis.gov.au/ndis-access-checklist

NDIS के क्वींसलैंड में शुरू होने पर, विकलांगता से ग्रस्त लोग "Access Request Form" पूरा करने में सक्षम हो पाएँगे। फॉर्म NDIS को यह फैसला लेने के लिए जानकारी प्रदान करेगा कि क्या आप उनसे सहायता प्राप्त कर सकते/सकती हैं या नहीं। फॉर्म पर आपके लिए अपनी विकलांगता, अपनी आयु और ऑस्ट्रेलिया में आपकी नागरिकता/रेज़ीडेन्सी से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने की ज़रूरत होगी। फॉर्म की प्रति और अपने निवेदन का समर्थन करने के लिए आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी और दस्तावेज़ के प्रकार (उदाहरणत: *विकलांगता, रेज़ीडेंसी, आयु आदि का प्रमाण*) NDIS की वेबसाइट (Participant सैक्शन के अंतर्गत) पर उपलब्ध हैं।

पहले से योजना बनानी

लोग अब इस बारे में सोच-विचार करना और योजना बनानी शुरू कर सकते हैं कि वे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हैं और ऐसा करने में उन्हें कैसी सहायता की ज़रूरत होगी। लोग NDIS पलैनिंग वर्कबुक (आयोजन कार्यपुस्तिका) पूरी कर सकते हैं ताकि आयोजन प्रक्रिया के लिए तैयार होने में उन्हें मदद मिल सके। वर्कबुक की प्रतियाँ NDIS की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन्हें इन भाषाओं में अनुवादित किया गया है – स्पेनी, वियतनामी, अरबी, ग्रीक, इटालवी भाषा, और सरलीकृत एवं परंपरागत चीनी भाषा।

NDIS आयोजक के साथ काम करना

आपको यह सूचना मिलने पर कि आप NDIS के पात्र हैं तो आपको एक पलैनिंग (नियोजन) किट दी जाएगी। पलैनिंग किट नियोजन एवं आंकलन प्रक्रिया का वर्णन करती है और इसमें एक सहभागी वक्तव्य शामिल है जिसे नियोजन एवं आंकलन प्रक्रिया से पहले पूरा किया जाना चाहिए। यदि लोगों को दुभाषिए या अनुवादित सामग्री जैसी मदद की ज़रूरत होगी, तो NDIS इसकी व्यवस्था करने में मदद कर सकती है। यदि आपको इन बैठकों के लिए इनकी ज़रूरत है तो आप इस सामग्री को अनुवादित करने का निवेदन कर सकते/सकती हैं।

ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपनी NDIS योजना का विकास कर सकते/सकती हैं, इसमें NDIS आयोजक के साथ मीटिंग (बैठक) करनी शामिल है। NDIS आपकी ज़रूरतों, लक्ष्यों और महत्वकांक्षाओं और आपको वर्तमान में मिली सहायता की चर्चा करने में आपकी मदद करती है। इसमें एक बार से अधिक बातचीत करने की ज़रूरत पड़ सकती है और आप सहायता के लिए अपने साथ किसी को ले जा सकते/सकती हैं। इस सूचना का प्रयोग करके, NDIS फिर आपकी ज़रूरतों और आपके लक्ष्यों को सबसे अच्छे तरीके से पूरा करने वाली सहायताओं की योजना तैयार करेगा। आयोजन प्रक्रिया के दौरान आप अपने समर्थन एवं सहायता के लिए अन्य लोगों को आमंत्रित कर सकते/सकती हैं।

और अधिक जानकारी के लिए www.ndis.gov.au देखें

यह जानकारी AMPARO Advocacy Inc द्वारा तैयार की गई है।

हालाँकि यह सुनिश्चित करने हेतु हर प्रकार से ध्यान रखा गया है कि प्रकाशन के समय यह जानकारी सही है, परन्तु इस विषय-वस्तु का तात्पर्य सामान्य संक्षिप्त विवरण देना है जो कि हो सकता है कि सही, वर्तमान या संपूर्ण न हो। व्यक्तिगत परिस्थितियों से सम्बन्धित अधिक सलाह लेने का अत्यधिक सुझाव दिया जाता है।

दिनांक: नवम्बर 2015

Community Resource Unit Inc. Expanding Ideas; Creating Change

mamre ASSOCIATION INC

QDN QUEENSLANDERS WITH DISABILITY NETWORK

AMPARO Advocacy inc

53 Prospect Road, Gaythorne, QLD 4051
PO Box 2065, Brookside Centre, QLD 4053
www.amparo.org.au info@amparo.org.au

phone 07 3354 4900
Interpreter Service 131450